राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर २६ अप्रैल, १९६२ को श्री हरिश्चंद्र माथुर द्वारा रखे गये निम्नलिखित प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस अधिवेशन में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ अप्रैल, १९६२ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।"

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह चर्चा का उत्तर दें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** हम इस से पहले भी कई बार राष्ट्रपति के अभिभाषणों पर धन्यवाद-प्रस्ताव पारित कर चुके है। लेकिन इस बार के अभिभाषण का विशष महत्व है। इस लिय कि इस संसद के समक्ष राष्ट्रपति का यह अन्तिम अभिभाषण है। कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति के सम्मान में उद्गार व्यक्त किये हैं। मैं भी राष्ट्रपति की उच्च गरिमा और सरलता के प्रति अपने सम्मानप्रद उद्गार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्हों ने १२-१३ वर्ष के अपने कार्य काल में संविधान और अपने उच्च पद की परम्पराओं को अनुकरणीय ढंग से निभाया है। व्यक्ति कितना ही योग्य हो, भारत के राष्ट्रपति का दायित्व निभाना खल नहीं है। यह तो ठीक हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान हैं, लेकिन यह भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक राज्य का संवैधानिक प्रधान अपने दायित्वों की किस ढंग से निभाता है। पिछले १३ वर्षों का काल बड़े-बड़े परिवर्तनों का काल था। एसे काल में यह बड़ महत्व की बात होती है कि देश का राष्ट्रपति किस प्रकार का है। हमारा सौभाग्य था कि हमें इस काल के लिये एक एसे राष्ट्रपति मिल गये थे, जिन में अच्छे राष्ट्रपति के सभी गुण मौजूद होने के साथ-साथ, राष्ट्र के नेता और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के भी गुण मौजूद हैं। इसलिये यह धन्यवाद-प्रस्ताव औपचारिक ही नहीं है, इस में वास्तविकता हैं।

इस प्रस्ताव पर होने वाले वाद-विवाद के सिलसिले में विभिन्न दलों के विभिन्न सदस्यों ने काफी बातें कही हैं; आलोचनायें भी की गई हैं, जिन से मुझे थोड़ी सहानुभूति भी है। मैं यहां हर बात में सरकार की वकालत करने या देश में होने वाली सभी चीजों या घटनाओं का औचित्य बताने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। हालांकि मैं मानता हूं कि देश में जो भी कुछ होता है उसका दायित्व सरकार पर ही है, फिर भी देश में जो भी हुआ है उस सब को ले कर भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों, या सरकार अथवा प्रशासन की असफलताओं को ही गिनाने से कोई लाभ नहीं। आलोचकों को इस के साथ ही सरकार, या प्रशासन की सफलताओं को भी देखना चाहिये। तभी आप अपने दृष्टिकोण में एक संतुलन रख पायेंगे।

यह तो सभी जानते और महसूस करते हैं कि भारत के सामने बहुत बड़े-बड़े काम बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं। हमारे दायित्व बड़े लम्बे-चौड़े हैं। सिर्फ इसीलिये नहीं कि हमारा देश बड़ा लम्बा चौड़ा है और हमारे देश की आबादी बहुत विशाल है। वह तो है ही, लेकिन असल मुश्किल यह नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

है। असल मुश्किल इस बात से पैदा होती है कि हम अपने देश के विकास में कई शताब्दियों को एक ही छलांग में भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो विकास कई शताब्दियों में होता, हम उसे कुछ ही वर्षों में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में लगभग सभी शताब्दियों को देखा जा सकता है। एक ओर तो भारत के कुछ भागों में आदिमकालीन संस्कृति अभी भी मिलती है और दूसरी ओर अन्य भागों में बिलकुल आधुनिक समाज मिलता है एक ओर तो उत्पादन के बि बिलकुल आदिमकालीन तरीके मिलते हैं, और दूसरी ओर आधुनिक युग की अणु-शक्ति मिलती है। अणु शक्ति के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़े हुए हैं। हम अपने देश के करोड़ों लोगों को आधुनिक स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि वे अपनी जमीन से उखड़ जायें। हमारी यही कोशिश है कि व आधुनिक तो बने पर संस्कृति और परम्पराओं की उनकी अपनी जड़े भी जमीन में गहरी बनी रहें। इस लिये कि पुराने ज़माने में भारत का अपना एक अलग व्यक्तित्व रहा है और मेरा ख्याल है कि कई असफलताओं के बावजूद भी उसका एक अपना व्यक्तित्व आज भी बना हुआ है। मैं कुछ भौतिक सुख के लिये उस व्यक्तित्व को नष्ट भी नही होने दे सकता हालांकि मैं एक हद तक भौतिक सुख सुविधाओं को भी नजर अन्दाज नहीं कर सकता। रहन सहन का दर्जा और ऊंचा किये बिना हम आगे नहीं चल सकते। इसलिये भौतिक सुख-सुविधायें भी महत्व रखती हैं। साथ ही भारत की अपनी विषेशता, उसका अपना व्यक्तित्व उसके सोचने का तरीका दूसरे शब्दों में भारत का जीवन-दर्शन भी बहुत महत्व रखता है; सुख-सुविधाओं के लिये उसकी जड़े नहीं काटी जा सकती। हम चाहते हैं कि भारत का अपना जीवन दर्शन और सुख सुविधाओं की वृद्धि साथ-साथ चले और दोनों के बीच ताल-मेल बैठाना ही भारत का काम है। आशा है हमें इसमें सफलता मिलेगी और इतिहास हमारी सफलता का साक्षी होगा।

यदि एक मोटे तौर पर कहा जाये तो हमें भारत का अपना व्यक्तित्व बनाये रखते हुए, जमीन में उसकी जड़ें महफूज रखते हुए ही भारत को आधुनिक बनाना है; उसके सोचने का तरीका आधुनिक बनाना है। हमें देश में उत्पादन के आधुनिक तरीके चालू करने हैं। इसीलिये किसानों से में सबसे पहला सवाल यही पूछता हूं कि वे किस तरह का हल इस्तेमाल करते हैं। यही कसौटी है कि वे किस शताब्दी की संस्कृति में रह रहे हैं। इसीलिये यह काम इतना मुश्किल हो गया है। हमें ऐसी चार करोड़ जनता का आधुनिकी काज करना है। सवाल इस बात का है कि हमें मनुष्यों को बदलना है और यह कि हम उनको बदलते कैसे हैं।

कई तरह की शिकायतें की गई हैं। एक यह भी शिकायत की गई है कि चुनावों के दौरान लोगों ने जातिवाद और साम्प्रदायिकता की भावनाओं का इस्तेमाल किया है। कहीं कहीं चुनाव एक सामन्ती आधार एक संकर आधार पर लड़े गये हैं ऐसी एक शिकायत की गई है। जातिवाद की असल में एक मनोवृत्ति होती है। और यह मनोवृत्ति विशषाधिकार हीन, निचले तबकों में ही नहीं, काफी समृद्ध विशषाधिकार प्राप्त लोगों में भी मिलती है। पर आज के युग में वैसी मनोवृत्ति के लिये कोई स्थान नहीं रह गया है।

लोग धनी और गरीब और बेरोजगारों की बातें करते हैं। बेरोजगारी भी दो तरह की होती है। एक तो उनकी जिनको काम नहीं मिलता और दूसरी उनकी जिनको काम करने की जरूरत ही नहीं। दोनों तरह की बेरोजगारी देश के लिये हानिकारक है। दोनों ही उत्पादन बिलकुल नहीं करते, केवल उपभोग करते हैं।

इसे बदलना होगा। कुछ बातों में अभी भी हमारा समाज अर्द्ध-सामंती है। हमें करोड़ों लोगों के सोचने का तरीका उनके काम का तरीका बदलना है। और, तब्दीली या परिवर्तन का कोई न

कोई आदर्श ले कर ही राजनीतिक दल बनाये जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हर परिवर्तन के खिलाफ होते हैं। फिर भी कोई न कोई आदर्श तो दलों का होता ही है।

हमारे आदर्श पंचवर्षीय योजताओं में शामिल हैं। आदर्श तो हैं यह दूसरी बात है कि हम आदर्श पूरा न कर सकें और आदर्शों को पूरा करने के लिये हमारे पास जो आदमी हैं वे सभी समस्यायें हल करने लायक न बन सकें। हमारी भी अपनी कमजोरियां तो हैं ही। हो सकता है कि हमारी जितनी भी आलोचनायें यहां की गई हैं, सभी उचित हो लेकिन उनको हमारी समस्याओं के साथ रख कर भी देखना चाहिये। देखना यह चाहिये कि समस्या है कितनी बड़ी और हमने उसे हल करने की कितनी कोशिश की है।

हम समाजवादी व्यवस्था के हामी हैं। इसे लेकर भी आलोचना की गई है। हम समाजवाद की तरफ कैसे बढ़ रहेहैं? असमानतायें तो मौजूद हैं और बढ़ती जा रही हैं। काफी हद तक बात ठीक है। उचित तो है, लेकिन यह भी तो देखिये कि इस परिस्थिति में और किया क्या जा सकता है? मैं तो समाजवाद का यह अर्थ नहीं लगाता कि लोगों में ग़रीबी बांट दी जाये, हर एक को ग़रीब बना दिया जाये। ग़रीबी, उत्पादन की कमी और उत्पादन के आदिमकालीन औजारों तथा साधनों को लेकर तो समाजवाद नहीं बनाया जा सकता। फिर भी कुछ लोग यही समझते हैं कि समाजवाद का मतलब हैं निचले स्तर पर समानता स्थापित करना। मैं इसे नहीं मानता। बांटने के लिये कुछ हो, तभी तो उसका समान बंटवारा किया जा सकेगा। ग़रीबी तो बांटनी नहीं है। इसलिये समाजवाद का सारतत्व उत्पादन है। ऐसा आदर्श तो किसी का होगा नहीं कि देश गरीब हैं और गरीब ही रहेगा। इस लिये समाजवाद का अर्थ सम्पदा का उत्पादन करना और उसका समान बंटवारा करना ही है। इसी लिये संविधान में कहा गया है कि सम्मति या सम्पदा पर एकाधिकार नहीं रहना चाहिये, चन्द लोगों के हाथों में उसका केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिये। लेकिन सम्पदा के उत्पादन के दौरान एक हद तक तो उसका केन्द्रीकरण होने ही लगता है। अधिक क्षमता वाला व्यक्ति अधिक धन कमा लेता है। अधिक क्षमताशील किसान ज्यादा पदा करता है। अधिक क्षमताशील होने या अधिक मेहनत करने के लिये तो किसी को दोष दिया नहीं जा सकता। हां, लेकिन उसे इतना धन नहीं कमाने देना चाहिये वह समाज के लिये हानिकारक बन जाये। धन जमा करने की मनोवृत्ति का समाज कोई आदर्श समाज नहीं। हमारा समाज इसी तरह का है। लेकिन काम करने और क्षमता दिखाने के लिये समाज में प्रेरणा भी रहनी चाहिये। आप सभी को समान अवसर दे सकते हैं। फिर भी सभी व्यक्ति समान तो नहीं होंगे। सभी व्यक्तियों में विभिन्न क्षमतायें होती हैं। फिर भी आलोचनाओं के लिये मैं आभार मानता हूं। आलोचनाओं से हमें, हर सरकार को मदद मिलती हैं चीजें समझने में। इसलिये कि हम तो अपने काम के अच्छे पहलूओं, अपनी सफलताओं को ही देखते हैं, असफलताओं को नहीं। इसी लिये आलोचनाओं से सही तसवीर समझने में मदद मिलती है। आलोचनाओं की तरफ से कान बन्द कर लेने वाली सरकार काम करने की अपनी प्रेरणा खो देती है। लेकिन मेरा कहना हैं कि आलोचनाओं का आधार सिर्फ यही नहीं होना चाहिये कि कितना नहीं हुआ है, बल्कि यह भी कि कितना किया गया है। तभी एक संतुलित आलोचना की जा सकती है। भ्रष्टाचार की चीख-पुकार मचाना तो बड़ा आसान है। कोई भी मचा सकता है। लेकिन में आपको बता सकता हुं कि प्रशासन के मामले में हमारा देश अन्य सभी देशों के मुकाबले कम भ्रष्ट है।

मुझे अन्य देशों की भी जानकारी है। इसीलिये मैं कह सकता हूं। मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार है ही नहीं। काफी है। हालां कि मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि ग़रीब देश में हमेशा ही निचल स्तरों पर भ्रष्टाचार अधिक होगा। यूरोप में दूध वाले सुबह आपके दरवाजे बोतलें रख

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जाते हैं पर उनको कोई नहीं उठाता। इसलिये कि वहां दूध बड़ा सस्ता है। इसलिये नहीं कि यूरोप के लोग हमसे ज्यादा ईमानदार है। हमारे देश में शायद कुछ बोतलें गायब हो जायें। ग़रीब देश में निचले स्तरों पर ऐसे छोटी-मोटी घटिया हरकतें करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है।

धनी और समृद्ध देशों में आप पायेंगे कि चोरियां बड़े पैमाने पर होती हैं और धनी लोग चोरियां करते हैं। हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन छोटा-मोटा भ्रष्टाचार ही अधिक है। एक मोटे तौर पर हमारे देश का प्रशासन संसार के अन्य प्रशासनों के मुकाबले सब से कम भ्रष्ट है।

मुझे संसार के देशों की वकफियत है। मैंने इस समस्या का खास तौर पर अध्ययन किया है। लेकिन इस तरह से देशों की तुलना करना अच्छा नहीं। संसार में अमरीका सब से अधिक समृद्ध देश है। वहां का सरकारी प्रशासन इस दृष्टि से कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हां, काम पूरा करने में वह चाहे जितना दक्ष हो। लेकिन यह भी नहीं समझ बैठना चाहिये कि वहां सभी प्रशासक ऐसे ही होते हैं।

देश स्वतंत्र होने के पहले के काल के मुकाबले अब हमारा प्रशासन सौगुना बढ़ गया है। उसमें सभी तरह के लोग आगये हैं--अच्छे और बुरे भी। उनमें से कुछ का बर्ताव बुरा भी होता है। मैं मानता हूं। लेकिन हमें आलोचना करते समय यह तो ध्यान में रखना चाहिये कि अन्य देशों में क्या हालत है। हर समय हर मौके पर भ्रष्टाचार की चीख-पुकार मचाते रहना उचित नहीं है। इस तरह की चीख-पुकार से तो भ्रष्टाचार और बढ़ता है। भ्रष्टाचार का एक माहौल बन जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि सभी तो कर रहे हैं।

और कुछ आलोचनायें भारत की एक बड़ी ग़लत तसवीर पेश करती हैं। उनको देखने-सुनने से यह नहीं लगता कि हमारा देश कर्मठ देश है काम में जुटा हुआ है। एक ऐसा देश है जिसने सभी प्रकार के खतरों का सामना किया है और फिर भी अटल बना हुआ है। समूचे एशिया में केवल हमारा देश ही है जो बाहरी-भीतरी सभी असफलताओं और बाधाओं पर पार पा सका है। सारा संसार मानता है कि भारत भौतिक क्षेत्रों-कल कारखानों, इत्यादी में ही नहीं, बल्कि भावात्मक अर्थों में भी प्रगति कर रहा है। भारत शताब्दियों का काम वर्षों में पूरा करता चल रहा है। और यदि संसार पर विश्वयुद्ध की विभीषिका नहीं टूट पायेगी तो हम बड़ी तेजी से मंजिल के करीब पहुंचते जायेंगे। आगे बढ़ना तो एक निरन्तर प्रक्रिया है।

और यदि विश्वयुद्ध छिड़ गया तो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आग में सारा संसार झुलस जायेगा। मेरा ख्याल है कि हम अभी इस मामले को इतना महत्व नहीं समझते। शायद इसलिये कि हमने अभी तक अपने देश पर युद्ध का विभीषिका और उसका आंतक टूटते देखा ही नहीं है। वैसे युद्ध से भी बुरी चीज़ का अनुभव हम कर चुके है विभाजन के बाद साम्प्रदायिक दंगों का। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो युद्ध से मुनाफे कमाने की आशायें करते हों। लेकिन आधुनिक युद्ध तो मुनाफों और मुनाफ़ाखोरों के लिये कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ेगा। यूरोप के लोगों को युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिये वे युद्ध की समस्याओं पर अधिक क्रिया शीलता के साथ सोचते है। वे जानते है कि युद्ध उनका खात्मा कर देगा।

अभी इन दिनों जिनेवा में निःशास्त्रीकरण सम्मेलन चल रहा है। वह इस समस्या पर विचार कर रहा है। संसार से युद्ध का भय दूर करने का एक ही मार्ग है--निःशास्त्रीकरण इसे सभी

स्वीकार करते हैं और मुझे भरोसा है कि एक न एक दिन निःशस्त्रीकरण हो रहेगा। संयोगवश, युद्ध छिड़ जाये तो दूसरी बात है। जिनेवा में एक छोटी सी समिति अणु अस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर भी विचार कर रही हैं। ताज्जुब होता है यह देखकर कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने कम मतभेद होते हुए भी, समझौता नहीं हो पा रहा है। उस सम्मेलन में तटस्थ देशों का प्रतिनिधित्व भी है। मुझे यह तटस्थता शब्द पसंद नहीं, पर मैं उसकी आसानी देखकर ही उसका प्रयोग कर रहा हूं। भारत भी उन तटस्थ देशों में से एक है। उनमें कुछ यूरोपीय देश हैं, कुछ अफ्रीकी और कुछ एशियाई। उन्होंने अणु-अस्त्रों के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव भी रखा है। भाग्य से रूस और अमरीका दोनों ही उस पर विचार के लिये तैयार हो गये हैं। वे दोनों सहमत तो नहीं हुए, पर उन्होंने उसे ठुकराया भी नहीं है। यह खुद अपने आपमें एक बड़ी बात है।

और जब सम्मेलन आण्विक अस्त्रों के परीक्षणों और शस्त्रों की होड़ बन्द करने का मार्ग खोजने में लगा है, तभी आण्विक परीक्षण भी शुरू कर दिये गये हैं। ये आण्विक परीक्षण हैं क्या ? मैं आपको प्रोफेसर पालिंग का पत्र पढ़ कर सुनाता हूं जिससे आप इनका अनुमान लगा सकें। प्राफेसर पालिंग 'कैलीफोर्निया के टैकनौलीजी के इन्टीट्यूट' में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक हैं। उनको नोबल पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने **न्यूयार्क टाइम्स** के नाम अपने पत्र में लिखा है कि उनको वायु में ऊंचे पर किये जाने वाले इन परीक्षणों पर दो मुख्य कारणों से आपत्ति है। एक तो यह कि इन परीक्षणों से १७ देशों के निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की सफलता की आशा कम हो जायेगी और आण्विक युद्ध की संभावना बढ़ने के कारण युद्ध का खतरा बढ़ जायेगा। और दूसरा यह कि परीक्षणों के फलस्वरूप मानव की भावी पीढ़ियों को हानि पहुंचेगी।

आम तौर से हम हानि उसी को समझते हैं जो हमारी आंखों के सामने हो, जैसे मकान गिरना या कुछ और होना। आण्विक परीक्षणों से सबसे बड़ी हानि होती हैं रेडियो-सक्रियता के कारण। वह उन भावी पीढ़ियां को हानि पहुंचायेगी जो अभी जन्मी भी नहीं हैं। पत्र में बताया गया है कि वर्तमान परीक्षणों के फलस्वरूप लगभग ३० लाख बच्चों की मृत्यु होगी। प्रोफेसर पॉलिंग ने हिसाब लगाया हैं कि हाल में सोवियत संघ ने जो परीक्षण किये थे, उनके फलस्वरूप, यदि मानव जाति बनी रही तो लगभग २०,०००,००० बच्चे विकलांग पैदा होंगे। उनमें से कुछ गर्भ में ही मर जायेंगे और कुछ पैदा होते ही मर जायेंगे। प्रेसीडेण्ट कैनेडी का कहना हैं कि अमरीकी परीक्षणों पर इतने बच्चों की बलि नहीं चढ़ेगी। इस पर प्रोफेसर पालिंग ने प्रश्न पूछा है कि क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं हो सकती कि वातावरण को रेडियो-सक्रियता से दूषित न होने दिया जाये और लाखों-करोड़ों तो क्या सैकड़ों-हज़ारों बच्चों को भी विकलांगता, भ्रूण-हत्या और बाल-मृत्यु से बचाया जा सके ?

यह होगा अथवा नहीं इस बारे में मैं कुछ खास नहीं कह सकता। किन्तु इस विषय को जानने वाले एक सुयोग्य विज्ञानविद् हैं। मान लीजिये कि यह घटना होती भी है तो यह एक बहुत ही भयानक घटना होगी। कहने का मतलब यह है कि यह घटना तभी होगी जब कि अणुपरीक्षण होंगे। इसके बाद जब लड़ाई छिड़ जाती हैं तो सारा भूमंडल इससे प्रभावित होगा।

अतः निःशस्त्रीकरण का होना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज़रूरी है। निःशस्त्रीकरण की पहली बात यह है कि ये अणुपरीक्षण न हों क्योंकि ये वास्तव में हानि पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि निःशस्त्रीकरण होना भी कठिन दिखाई पड़ रहा है। फिर यह बात तो सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यदि अणुपरीक्षण होंगे तो इनसे खतरा ही बढ़गा और दूसरे देश भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे।

सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं और जैसाकि समाचारपत्रों में भी छपा था कि श्री बर्ट्रेंड रसेल (जो अब लार्ड रसेल कहलाते हैं) का मेरे पास एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें इन परीक्षणों का केवल विरोध ही नहीं करना चाहिये बल्कि उनको रोकने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध करना चाहिये। उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें एक जहाज 'क्रिसमस टापू' भेजना चाहिये क्योंकि उनका विचार है कि हमारा वहां पहुंचना ही इन परीक्षणों को रोकने में सहायक सिद्ध होगा। यह भी बताया गया है कि यदि अमरीका ने परीक्षण किया तो रूस भी अवशय करेगा इस प्रकार दोनों देशों के परीक्षण से विश्व प्रभावित होगा और एक देश को दूसरे देश से इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि वह अधिक से अधिक परीक्षण करे। इनका कोई सैनिक महत्व होगा यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह बताया गया है कि इनसे किसी देश की सैनिक शाक्ति बढ़ेगी। जब मैंने श्री रसेल के सुझाव पर विचार किया तो मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि सरकारी तौर पर क्रिसमस टापू में मैं जहाज नहीं भेज सकता। श्री रसेल भी यह बात जानते है फिर उन्होंने एक दूसरा सुझाव दिया कि मैं एक छोटा सा ही जहाज भेजूं जिसमें कुछ व्यक्ति हों। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। सवाल यह है कि वहां कौन जायेगा। कठिनाई यह है। लेकिन उसकी भावना से में पूर्णतः सहमत हूं।

वैसे तो मैं पहले भी यहा सभा में अमरीका से तथा रूस से यह निवेदन कर चुका हूं कि वे ये परीक्षण न करें। एक बार फिर उनसे निवेदन करता हूं कि वे परीक्षण न करें क्योंकि इन परीक्षणों से मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जायेगा। हर राष्ट्र के लिवे ये परीक्षण घातक सिद्ध होंगे।

एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सीमान्त की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन एक महीने पहले राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया था उस मे उन्होंने इन समस्याओं का उल्लेख किया था। इस समय यदि उन्होंने उन समस्याओं का उल्लेख नहीं किया है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह अथवा सरकार उन समस्याओं को महत्व नहीं देती। उनका मन्तव्य तो इतना ही था कि वह फिर से इन बातों को दुहराना नहीं चाहते थे।

सीमान्त समस्याओं में चीन तथा पाकिस्तान की समस्या दो मुख्य समस्याएं हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है वह तो बनी रहेगी क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी इस समस्या को हल करने का प्रयत्न नहीं किया। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि वे इसे बनावे रखना चाहते हैं चाहे कारण कुछ भी क्यों न हो। उदाहरण के लिये पाकिस्तान ने काश्मीर का सवाल सुरक्षा परिषद् में उठाया है और वहां इसकी चर्चा भी होने वाली है। पाकिस्तान बार बार झूठी बात को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय समस्या खड़ी करता रहा है। अगर एक झूठी बात बार बार उठाई जाय तो सम्भव है कि उसका कुछ असर हो। हम न तो कोई झूठी बात कहते हैं और न शोर ही मचाते हैं क्योंकि यह शोभनीय नहीं है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जैसा बर्ताव अधिक दिन तक नहीं चला करता। भारत के धैर्य और उस के नम्र बर्ताव का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ा है।

काश्मीर की समस्या के अलावा पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिम बंगाल में सामुदायिक झगड़ों की भी कठिनाइयां हैं। ढाका तथा राजाशाही के बारे में जानने की इच्छा कुछ सदस्यों ने प्रकट की है। वहां जो कुछ हुआ है उस के बारे में सही स्थिति का तो पता नहीं किन्तु इतना अवश्य है कि वह जातीय भावनाओं का प्रतीक है। मालदा में जो कुछ हुआ उस के बारे में पाकिस्तान ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या हमारे उच्चायुक्त राजाशाही गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारे उच्चायुक्त राजशाही तो नहीं गये किन्तु ढाका अवश्य गये हैं और अब भी वह वहां हैं ।

इस प्रकार की बातों को ले कर एक दूसरे पर कीचड़ तो खूब उछाली जा सकती हैं लेकिन ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं किया जा सकता जोकि हम उत्पन्न करना चाहते हैं । और न मामले को चिल्ला कर निपटाया ही जा सकता है । पाकिस्तान की नीति इस आतंक को बनाये रखने की है । हम पिछले १४ वर्षों से बराबर पाकिस्तान की यही नीति देखते चले आ रहे हैं । विभाजन के समय हमारा ख्याल था कि दोनों देश, जो हर तरह से एक दूसरे के जैसे हैं, एक दूसरे के साथ मिल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे । लेकिन इस के विपरीत हमें पाकिस्तान से दुश्मनी ही मिली । विश्व भर में फैले उन के राजनीतिज्ञों की नीति यही है कि भारत को नीचा दिखाया जाये । हम न तो उन का मुकाबला ही कर सकते हैं और न उन को नीचा दिखाना ही चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि यह बात अच्छी नहीं है । हम अपने देश में जब योजनाओं की, अर्थव्यवस्था आदि की चर्चा करते हैं तो वे लोग भारत के प्रति घृणा उत्पन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं । पता नहीं कि एक देश जिस की नीति ही घृणा एवं डर पर आधारित हो किस प्रकार उन्नति कर सकता है ।

जहां तक चीन की बात हैं मैं कह सकता हूं कि हमारे सीमान्त क्षेत्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । माननीय सदस्य जानते हैं कि हम ने चीन की गतिविधियों का विरोध किया है लेकिन उस से कहीं अधिक चीन सरकार ने विरोध पत्र भेजे हैं । यह बात जरूर है कि हम अपनी शक्ति सुदृढ़ करने के लिये वहां कुछ न कुछ करते हैं । चीन वालों का दावा है कि अकसाई चिन क्षेत्र उन का है एवं उन का रहा है और यदि हम वहां कुछ करते हैं तो यह उन को बुरा लगता है । लेकिन जब हम यह सोचें कि वह क्षेत्र हमारा है तो निश्चय ही वह हमें बुरा लगेगा जोकि चीन वाले वहां करते हैं । दर असल बात सोचने की है कि कौन क्या सोचता है ।

जहां तक हमारी बात है उस का पूरा विवरण सरकारी प्रतिवेदनों में दिया हुआ है । यह प्रसन्नता की बात है कि यह प्रतिवेदन अब चीन में छप गया है और लोग उसे पढ़ेंगे ।

हम तो मुख्यतः अपनी अन्तर्देशीय स्थिति से सम्बन्धित हैं । लेकिन उधर चीन में भी उन की अपनी कठिनाइयां हैं । अब की बार वहां बुरी फसलें हुई हैं । वहां भी जनसंख्या बहुत हैं और बराबर बढ़ रही है । ऐसी स्थिति में वहां उन्हें अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है लेकिन अब की बार वहां की फसल ही नष्ट हो गई हैं । निश्चय ही वहां की स्थिति बहुत ही खराब हो जायेगी । हालांकि हमारे सम्बन्ध उन के साथ अच्छे नहीं हैं किन्तु फिर भी यह कोई नहीं चाहता कि वहां के लोग भूखे मरें । हम नहीं चाहते कि चीन के साथ युद्ध हों । लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं है अतः हमें हर बात के लिये तैयार रहना चाहिये । बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं लेकिन मैं उन का उत्तर देना नहीं चाहता । इस का मतलब यह नहीं है कि मैं सभा से कोई बात छिपाना चाहता हूं बल्कि जो उत्तर मैं यहां देता हूं उन से चीन की सरकार या उन के पदाधिकारी नाजायज़ लाभ उठाते हैं । इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है । हमारी शक्ति बराबर बढ़ रही है । और हम हर मुकाबले के लिये अपने आप को तैयार कर रहे हैं । चूंकि जो भी हम कार्यवाही करेंगे उस के पीछे कुछ न कुछ शक्ति अवश्य होनी चाहिये ।

यदि हमें अपनी स्थिति विदेशों में ठीक रखनी है तो यह आवश्यक है कि हमारी अन्तर्देशीय स्थिति ठीक हो । चूंकि हम अपने देश में उन्नति कर रहे हैं इसलिये बाहर भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है । यदि आप पिछले १२ वर्षों में की गई उन्नति पर दृष्पात करें तो आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम ने जो काम किया है, भले ही अपने लक्ष्यों की कहीं कहीं पूर्ति हम न कर सके हों, उस से हमारा महत्व बढ़ा हैं । एशिया के दूसरे देशों से आप तुलना करें तो हमारा काम निःसन्देह सराहनीय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जहां तक बेरोजगारी की बात है । उस की समाप्ति तभी संभव है जबकि देश प्रविधिक दृष्टि से अथवा उद्योग की दृष्टि से उन्नति करे । दूसरे देशों में भी बेरोज़गारी इसी तरह समाप्त हुई है । कहने का तात्पर्य यह है कि सम्पत्ति के बढ़ने एवं सम्पत्ति बढ़ाने के उपायों की उन्नति होने से ही बेरोज़गारी दूर होती है । प्रविधिक उन्नति तथा नवीनतम उपायों के अपनाने से ही इस का मुकाबला किया जा सकता है । कुछ थोड़ा सा काम दे कर बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है यह एक अस्थायी बात है । उद्योग बढ़ा कर ही इस बेरोज़गारी को स्थायी तौर पर दूर किया जा सकता है । यही एक मात्र उपाय है । यह कैसे दूर की जायेगी इस का संकेत तीसरी योजना के प्रतिवेदन में दिया गया है । सैकड़ों वर्ष पुरानी चीज को इतने थोड़े समय में तो दूर नहीं किया जा सकता । भारत में बेरोज़गारी बढ़ने का एक कारण यह भी है कि अब महिलायें भी नौकरी करने लगी हैं । यह एक अच्छी बात है । लेकिन इस उल्लेख का मेरा अभिप्राय यही है कि पहले ये नौकरियां नहीं करती थीं । यही कारण है कि बेरोजगारी में अब वृद्धि हुई है । पढ़े लिखे लोगों में बेकारी बहुत है । विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों की संख्या पढ़ लिखकर निकल रही है और वे नौकरी चाहते हैं । समाज के वातावरण में परिवर्तन हो रहा है । पहले लोग पढ़ लिख कर गांवों में रहते थे । लेकिन अब कोई रहना पसन्द नहीं करता, सब नौकरी चाहते हैं । इस कारण भी बेकारी बेरोजगारी बढ़ रही है ।

पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार देने के आंकड़ों पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आप को पता चल जावेगा कि स्वतंत्रता के बाद से इन लोगों की अर्थात् रोजगार पाने वालों की संख्या में अपार वृद्धि हुई है । लाखों करोड़ों व्यक्तियों को काम दिया गया है । इसके अलावा कठिनाई यह है कि लाखों व्यक्ति हर साल विश्वविद्यालयों से बाहर निकल भी तो रहे हैं । इसलिये ही यह अन्तर दिखाई पड़ रहा है । हमारे औद्योगिक विकास के अलावा हम यह भी चाहते है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को निःशुल्क तथा अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलने लगे । इससे भी बेरोज़गारों की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि हर व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से पढ़ कर निकलेगा रोज़गार चाहेगा । इसलिये यह समस्या एक बड़ी समस्या ही नहीं है अपितु निरन्तर बढ़ने वाली भी है । इस समस्या का एकामात्र हल अधिक से अधिक औद्योगीकरण एवं नवीनतम उपायों को अपनाना है । जिन देशों ने औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया है उन्होंने अपने यहां बेरोज़गारी को समाप्त किया है । लेकिन मेरा विचार है कि हमने इस क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है । किन्तु फिर भी भारी बेरोज़गारी है । तीसरी योजना के दौरान में श्रमिकों की संख्या बढ़कर १७० लाख हो जायेगी । तीसरी योजना में १४० लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को काम देने का कार्यक्रम हैं । कृषि की गिरती हुई हालत को देखते हुए इस तीसरी योजना के दौरान में कम से कम २५ लाख व्यक्तियों को ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम में काम देने की योजना बनाई गई है । इस प्रकार १६५ लाख व्यक्तियों को काम देने का सवाल बाकी रह जाता है । हालांकि इन आंकड़ों में थोड़ी हेर फेर भी हो सकती है । एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो फिर गाड़ी चल पड़ती है । इसे क्रियान्वित करने के लिये आप को अपनी सारी शक्ति लगानी होगी और इसे पूरा करने मे कुछ समय भी लगेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** बढ़ते हुए मूल्यों के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि मूल्य तो अवश्य बढ़े हैं, किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि वे अधिक नहीं बढ़े ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** आप कह सकते हैं कि अगस्त से दिसम्बर तक तो मूल्य स्थिर रहे हैं किन्तु यदि १९६०, १९५९ और १९५८ के खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के मूल्यों से तुलना की जाये, तो आप वृद्धि पायेंगे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मार्च, १९६१ में मूल्यों का सामान्य देशनांक मार्च, १९५६ के मूल्यों से ३० प्रतिशत अधिक था। मार्च १९६२ में यह मार्च, १९६१ की तुलना में वह ३ प्रतिशत कम था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : खाद्यान्नों के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस में सन्देह नहीं कि कुछ मूल्य बढ़े हैं किन्तु गत वर्ष मूल्य वस्तुतः कुछ कम हुए हैं। अब वृद्धि रोक ली गई है और मूल्यों का स्तर १९६२ के पिछले तीन महीनों से लगभग स्थिर है।

आप को याद रखना चाहिये कि विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में मूल्यों का बढ़ना स्वाभाविक हैं। यह सन्तोष की बात हैं कि इस के बावजूद इस प्रवृत्ति को रोक लिया गया है।

सरकार की नीति तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कर दी गई है। इस की आलोचना की जा सकती है और इस में सुधार आदि भी किया जा सकता है। सरकार उस सीमा में रहते हुए कुछ कार्यवाही कर सकती है किन्तु नज़र योजना पर ही रखनी चाहिये।

मैं एक दो मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। पहला आय और धन के वितरण सम्बन्धी समिति के बारे में है। यह समिति बढ़ती हुई असमता की देखते हुये बनाई गई थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि अधिकांश लोगों को आर्थिक दृष्टि से फायदा नहीं हुआ है, अवश्य हुआ है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की हालत में सुधार नहीं हुआ या कम हुआ है। किन्तु यह सत्य है कि धनवान वर्गों और सामान्य जनता में असमानता बढ़ी है। इसीलिये प्रो० महानलोविस की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी और एक अर्थशास्त्रियों की प्रविधिक समिति थी।

उस समिति ने निम्न विषयों की खोज शुरू की है (१) राष्ट्रीय आय की मात्रा और उसमें समय के साथ कमी बेशी, (२) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा एकत्र उपभोक्ता व्यय सामग्री की जांच, (३) जीवन स्तर के, जिस में विभिन्न सामाजिक सेवाओं का विकास भी सम्मिलित है, सम्बन्ध में आंकड़े, (४) आय कर देने वालों का नमूना सर्वेक्षण, (५) उपभोक्ता मूल्यों के सम्बन्ध में मजूरी कमाने वाले या वेतन पाने वाले कर्मचारियों की आय का अध्ययन, (६) अर्थपूंजी के जमाव, प्रबन्ध नियन्त्रण और प्रबन्धक संघों द्वारा वित्त व्यवस्था के नमूनों के सम्बन्ध में अध्ययन, (७) भूमि क्षेत्रों का वितरण आदि। यह एक जटिल विषय है और आसान नहीं है। आशा है हमें शीघ्र ही उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा।

श्री मनोहरन ने उस परिपत्र का विरोध किया है, जिस के अन्तर्गत मद्रास में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये हिन्दी अनिवार्य कर दी गई है। उन का ख्याल था कि यह हमारे आश्वासन के विरुद्ध है। उनका ख्याल गलत है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न भाषायें सीखनी पड़ती हैं क्योंकि उन्हें भारत के किसी भाग में भी सेवा करनी पड़ सकती हैं। यदि वे मद्रास में हैं, तो हम कह सकते है कि वे तमिल सीखें। यह एक पुरानी बात है। अंग्रेजों के जमाने में भी सरकारी कर्मचारियों को उस प्रांत की भाषा, जहां वह काम कर रहे होते थे, सीखनी पड़ती थी। हमारा आश्वासन यह था कि नौकरी के मामले में हिन्दी जानना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु नौकरी पाने के बाद कर्मचारी को हिन्दी की परीक्षा पास करनी होगी। यह एक भिन्न मामला है क्योंकि उसे गुजराती, मराठी या बंगाली भी सीखनी पड़ेगी यदि वह उनके प्रांतों में काम करेगा। किन्तु हमारा विचार है कि कुछ हद तक हिन्दी जानना वांछनीय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

फिर श्री मनोहरन ने कहा था कि भारत सरकार को लंका में रहने वाले भारतीय उत्पत्ति के लोगों बारे में, जो कि अधिकतर तमिल हैं, हस्तक्षेप करना चाहिये। उनको मालूम होना चाहिये कि लंका में स्थिति गम्भीर है और हमारे लिये बाब बार दबाव डालने का उलटा नतीजा निकल सकता है। कई लाख तमिल लोग वहां अपना कारोबार कर रहे हैं। केवल व्यापारी लोगों को लंका छोड़ना पडा था, क्योंकि उनके प्रवेश-पत्रों आदि की अवधि समाप्त हो गई थी। बगानों पर काम करने वाले श्रमिकों को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि दुभाग्य से न तो वह भारतीय नागरिक है और न लंका के। हमारा पक्ष यह है कि बहुत से लोग वहीं पैदा हुए हैं या कई वर्ष वहां रहे हैं और उन्हें लंका के नागरिक समझा जाना चाहिये।

इसलिए लंका सरकार और हमारे बीच मंत्री के होते हुए भी हमारे लिए उस पर दबाव डालना उचित नहीं होगा। जब भी मौका मिलेगा, हम उससे बातचीत करेंगे।

मैं एक और बात का उल्लेख भी करना चाहता हूं। पूर्वी पाकिस्तान में एक मिल चित्तरंजन रुई मिल है। पूर्वी पाकिस्तान ने इस के साथ बड़ा विचित्र व्यवहार किया है। वह इस लिये इस लाभ-प्रद संगठन को नष्ट कर रही है क्योंकि इसके बहुत से अंशधारी कलकत्ता में रहते हैं। उसका आरोप यह है कि यह मिल उचित रूप से नहीं चलाई जा रही। वास्तव में यह बहुत अच्छी चल रही थी और काफी लाभ कमा रही थी। दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वी पाकिस्तान भारतीय अंशधारियों को उन के हिस्सों से वंचित करने के लिये कार्यवाही करेगी।

कीगई आलोचनाओं के सम्बन्ध में मैं सदन का और समय नहीं लेना चाहता। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, इन में बहुत से विषयों की आलोचना होनी चाहिये। उदाहरणतया कोयला, परिवहन और विद्युत् के मामलों ने हमें बहुत परेशान किया हैं। हो सकता है कि आयोजना ठीक न हुई हो हम शीघ्र से शीघ्र इनके सुधार का प्रयत्न कर रहे हैं। हम कोई रेलवे लाइन या बिजली का उत्पादन जल्दी नहीं कर सकते। वास्तव में हमारी बहुत सी कठिनाइयों का कारण यह हैं कि हम अपनी क्षमता से जल्दी उन्नति कर रहे है। विद्युत् और इस्पात अधिकाधिक चाहियें। यह उन्नति की निशानी है। तथापि हम आलोचनाओं से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : मेरा सुझाव है कि संसद्-कार्य मंत्री को एक निदेश दिया जाये कि माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के दौरान में जो विषिष्ट प्रश्न उठाये हैं, उनके उत्तर में वह सरकार की ओर से पटल पर उचित जानकारी रखें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं स्वयं इनका उत्तर नहीं दे सकूंगा किन्तु यदि कोई सदस्य अनौप-चारिक रूप से प्रश्न भेजें, तो मैं अवश्य उत्तर भेजूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई विशिष्ट मामले हों, तो उनका अनुसरण कई तरह से किया जा सकता हैं।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : वर्टरड रसल के इस सुझाव के सम्बन्ध में कि क्रिसमस द्वीप मे सत्याग्रह के लिये एक जहाज भेजा जाये, मेरा सुझाव है कि यदि कोई जहाज सरकारी तौर पर नहीं भेजा जा सकता, तो मैं गैर-सरकारी तौर पर एक जहाज वहां ले जाने के लिये तैयार हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में